निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 32/2014 तारीख दायरा 15.04.2014

उनवान

1. जानकीलाल पुत्र रामगोपाल मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 जशोदा पुत्री जानकीलाल निवासी बम्बोरी

1/2 लाडबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/3 चन्द्रकला पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/4 नट्टीबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/5 आशाबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/6 मायाबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/7 रिकेश पुत्र जानकीलाल निवासी सांगोद

1/8 नरेन्द्र पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण मृतक पुत्र स्व. जानकीलाल

1/9 रानी पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. जानकीलाल

1/10 सागर पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. जानकीलाल जरियेवली माता पार्वतीबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण निवासी सांगोद

1/11 पार्वतीबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण निवासी सांगोद

1/12 शान्ति बाई बेवा स्व. जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

1/13 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

1/14 ज्योति पुत्री स्व. श्री जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

2. शंकरलाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति रेगर निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

1. गिरिराज प्रसाद पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
2. हरिश कुमार पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
4. चन्द्रेश पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार
5. गायत्री पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार
6. अनिता पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार निवासीगण कुम्हारों का मुहल्ला सांगोद जिला कोटा
7. केदारबाई जोजे हीरालाल जाति माली निवासी सोरसन रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

— प्रतिवादी

वाद धारा 88,89 आर.टी.एक्ट एवं

दिनांक 16.12.2020

उपस्थिति :— राकेश कुमार शर्मा वादीगण

संशोधित निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद की खाता स. नई 124 पुरानी 438 की खसरा न. 1190 की 0.83 है. आराजी स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1190 की 0.83 है. गत साबिक खसरा न. 895 की 5 बीघा 3 बिस्सा है। जिसके वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2068 से 2071 के अनुसार खातेदार गिरिराज प्रसाद, ओमप्रकाश, हरीशकुमार, पुत्रान बैजनाथ जाति सुनार हिस्सा 1/2 दर्ज है, जो वाद पत्र में प्रतिवादीगण 1ता3 है एवं केदारबाई जोजे हीरालाल हिस्सा 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी स. 7 है एवं उक्त विवादग्रस्त [illegible] एचडीएफसी बैंक शाखा कोटा के प्रतिवादी स. 1ता3 के हिस्से की आराजी [illegible] आराजी प्रतिवादी स. 1ता6 के पिता श्री बैजनाथ पुत्र भैरूलाल जाति सुनार के खाते में तत्कालीन राजस्व रेकार्ड अनुसार खाते में खसरा न. 895 रकबा 5 बीघा 3 बिस्सा में से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

जिसे प्रतिवादी स. 1ता6 के पिता ने अपने सम्पूर्ण हिस्से को दिनांक 29.5.1998 को विक्रय कर विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण रकम प्राप्त कर उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में विक्रय विलेख वादीगण स.1 जानकीलाल व 2 शंकरलाल पिसरान रामगोपाल जाति रेगर निवासी सांगोद के पक्ष में पंजीयन करवाकर मौके पर भली प्रकार कब्जा वादीगण को संभला दिया था, जिसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में दिनांक 29.5.1998 को पुस्तक स. 1 जिल्द स. 33 क्रम स. 185/98 पृष्ठ स. 182 पर दर्ज किया गया है। तभी से विवादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा न. 1190 की 0.83 है. में से 1/2 उत्तरी तरफ का हिस्सा कब्जे काश्त में क्रयशुदा आराजी चली आ रही है, जिसके एक मात्र स्वामी व मालिक विक्रय विलेख के आधार पर विधिक रूप से वादीगण संयुक्त रूप से है।

वादीगण को विवादग्रस्त आराजी का विकास करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर व रूपयों की आवश्यकता होने से वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर पटवारी हलका ने बताया कि विवादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज नहीं है। राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर तुरन्त प्रतिवादीगण 1ता3 से वादीगण की आराजी में गलत फौती इन्तकाल खुलने की जानकारी दी तथा आपसी सहमति से राजस्व रेकार्ड को सही कराने को कहा तो प्रतिवादगण 1ता3 ने राजस्व रेकार्ड को सहमति से सही कराने का आश्वासन दिया, लेकिन प्रतिवादीगण 1ता3 द्वारा एचडीएफसी बैंक शाखा कोटा से विवादग्रस्त आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपनी आराजी का विकास कराने में परेशानी आने तथा राजस्व रेकार्ड में भी नाम दर्ज नहीं होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण 1ता3 को 4.9.2013 को रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा राजस्व रेकार्ड को ठीक कराने की सूचना देने एवं मौखिक रूप से कहने के उपरान्त भी दिनांक 20.9.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती कराने का वादीगण को विधिक [illegible] होने का विधिक नोटिस का जवाब देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा [illegible] तहसील कार्यालय में प्रतिवादगण के मिलने पर उनसे राजस्व रेकार्ड [illegible] की रहन रकम जमा कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वादीगण विवादग्रस्त आराजी ग्राम सांगोद की वर्तमान ख.स.1190 की 0.83 है. में 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का कय करने के दिनांक से ही काबिज व स्वामी होकर काश्त करते चले आ रहें हैं, एवं ख.न. 1190 की 1/2 हिस्सा दक्षिणी तरफ की प्रतिवादी स. 7 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, जिसे सहमति से कब्जे अनुसार काश्त करने से विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि–

ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद की खाता स. नई 124 पुरानी 438 की खसरा न. 1190 की 0.83 है. आराजी स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1190 की 0.83 है. गत साबिक खसरा न. 895 की 5 बीघा 3 बिस्वा में जरिये विकय विलेख दिनांक 29.5.1998 के द्वारा खरीदशुदा 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का वक्त खरीद से शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में चले आने से वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण 1ता7 के विरूद्ध घोषणा व विभाजन की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे तथा उक्त घोषणा व विभाजन के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने व राज लगान प्रथक प्रथक दर्ज किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे।

वादीगण के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद की नई 124 पुरानी 438 की खसरा न. 1190 की 0.83 है. आराजी स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1190 की 0.83 है. गत साबिक खसरा न. 895 की 5 बीघा 3 बिस्वा में जरिये विकय विलेख दिनांक 29.5.1998 के द्वारा खरीदशुदा 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का वक्त खरीद से शांतिपूर्वक काश्त व उपयोग करने दें, इसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी, मदाखलत मजामहत, नुकसान, क्षति आदि नहीं करें तथा आराजी को राजस्व रेकार्ड में नामदर्ज होने का लाभ उठाकर बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा उपपंजीयन महोदय सांगोद उक्त विवादित आराजी से संबंधित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

1ता7 न तो स्वयं करें तथा ना ही अपने नौकरों व एजेन्टों से करवावें। यदि प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादीगण की आराजी पर कब्जा कर लेवें तो उन्हें जरिये पुलिस इमदाद बेदखल कर वादीगण को पुनः कब्जा दिलाया जावें। वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हों दिलायी जावें तथा वाद व्यय व मानसिक प्रताडना के हर्जे खर्चे के रूप में वादीगण को 15000रू. प्रतिवादीगण 1ता6 से दिलाया जावे।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई, उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। सभी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, इसका आशय है कि उन्हे वाद में वर्णित सभी तथ्य स्वीकार है। वादी वकील द्वारा विवादित आराजी से संबंधित एचडीएफसी बैंक का no dues प्रमाणपत्र पेश किया जो शामिल प्रत्रावली है। उक्त प्रकरण मे मैंने पत्रावली का व संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी सुनी गई, अपनी बहस मे वकील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया, कि पत्रावली मे जो दस्तावेज उपलब्ध है, उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, कि–

ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद की खाता स. नई 124 पुरानी 438 की खसरा न. 1190 की 0.83 है. आराजी स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1190 की 0.83 है. गत साबिक खसरा न. 895 की 5 बीघा 3 बिस्वा में जरिये विक्रय विलेख दिनांक 29.5.1998 के द्वारा खरीदशुदा 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का स्थित है। वादी सं.1 के कायम मुकामान 1/1 ता 1/14 को उक्त आराजी के 1/2 हिस्से उत्तरी तरफ में से प्रत्येक को 1/56 हिस्से का तथा वादी सं. 2 ... 4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के ... कर खाते ... अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

संशोधित फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 32/2014 तारीख दायरा 15.04.2014

उनवान

1. जनकीलाल पुत्र रामगोपाल मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 जशोदा पुत्री जानकीलाल निवासी बम्बोरी

1/2 लाडबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/3 चन्द्रकला पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/4 नट्टीबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/5 आशाबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/6 मायाबाई पुत्री जानकीलाल निवासी सांगोद

1/7 रिकेश पुत्र जानकीलाल निवासी सांगोद

1/8 नरेन्द्र पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण मृतक पुत्र स्व. जानकीलाल

1/9 रानी पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. जानकीलाल

1/10 सागर पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. जानकीलाल जरियेवली माता पार्वतीबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण निवासी सांगोद

1/11 पार्वतीबाई पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण निवासी सांगोद

1/12 शान्ति बाई बेवा स्व. जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

1/13 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

1/14 ज्योति पुत्री स्व. श्री जानकीलाल जाति रेगर निवासी सांगोद

2. शंकरलाल पुत्र श्री रामगोपाल जाति रेगर निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा —

वादी

बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

1. गिरिराज प्रसाद पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
2. हरिश कुमार पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ जाति सुनार
4. चन्द्रेश पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार
5. गायत्री पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार
6. अनिता पुत्री श्री बैजनाथ जाति सुनार निवासीगण कुम्हारों का मुहल्ला सांगोद जिला कोटा
7. केदारबाई जोजे हीरालाल जाति माली निवासी सोरसन रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

— प्रतिवादी

<u>वाद धारा 88,89 आर.टी.एक्ट एवं</u>

उपस्थिति :— राकेश कुमार शर्मा वादीगण

दिनांक 16.12.2020

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री राकेश कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :—

ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद की खाता स. नई 124 पुरानी 438 की खसरा न. 1190 की 0.83 है. आराजी स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 1190 की 0.83 है. गत साबिक खसरा न. 895 की 5 बीघा 3 बिस्वा में जरिये विक्रय विलेख दिनांक 29.5.1998 के द्वारा खरीदशुदा 1/2 हिस्सा उत्तरी तरफ का स्थित है। वादी सं.1 के कायम मुकाम [illegible] आराजी के 1/2 हिस्से उत्तरी तरफ में से प्रत्येक को 1/56 [illegible] 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। [illegible] कम में इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी [illegible] रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा